संख्या- **3/2019/168 /60-2-18-2/1(24)/18**

प्रेषक

मोनिका एस**0** गर्ग**,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक**,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2019

विषय **:** प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना-एडोलेसेंट गर्ल्स **(**एस**0**ए**0**जी**)** लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किशोरावस्था प्रत्येक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह बचपन और महिला बनने के मध्य मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। समग्र बाल विकास के लिए किये जा रहे प्रयास पूरे नहीं होंगे, यदि किशोरी बालिकाओं को लक्षित कार्यक्रमों से बाहर रखा जाता है।

2- स्कूल से बाहर की किशोरी बालिकाओं (11 से 14 वर्ष) की बहुआयामी आवश्यकताओं को समझना व इन बालिकाओं को स्कूल प्रणाली में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं हेतु पुनर्गठित योजना किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls-S.A.G.) के कार्यान्वयन की स्वीकृति भारत सरकार के आदेश संख्या-F.No-11012/3/2017-O/O ADSABLA दिनांक 02.04.2018 द्वारा दी गयी है। किशोरी बालिकाओं के लिए यह योजना अम्ब्रेला आई0सी0डी0एस0 के ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का उपयोग कर, लागू की जायेगी।

3- भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No-11012/3/2017-O/O ADSABLA दिनांक 02.04.2018 द्वारा सूचित किया गया कि किशोरी बालिकाओं के लिये योजना (एस0ए0जी0) को लागू करते हुए प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश के 303 हाईबर्डन जनपदों का चिन्हांकन किया गया, जिसमें प्रदेश के 50 जनपद-बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बदायूँ, लखीमपुर खीरी, इटावा, फतेहपुर, कांशीराम नगर, बाराबंकी, संतरविदास नगर, एटा, हरदोई, संत कबीरनगर, कन्नौज, कौशाम्बी, फैजाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बस्ती, जौनपुर, उन्नाव, मैनपुरी, रामपुर, कानपुर देहात, सुलतानपुर, बरेली, मुरादाबाद, कुशीनगर, वाराणसी, ज्यातिबाफुले नगर, महामायानगर, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, औरैया, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, आज़मगढ़, हमीरपुर, झांसी, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, मथुरा, बलिया तथा हाथरस को सम्मिलित किया गया। उक्त जनपदों में जनपद-महामायानगर एवं हाथरस को पृथक-पृथक जनपद के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक रूप से एक ही जनपद है। अतः भारत सरकार की उक्त सूची में कुल 49 जनपदों का ही उल्लेख है} वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण में किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एस0ए0जी0) का सार्वभौमीकरण करते हुये देश के सभी जनपदों को सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश के शेष 04 जनपद शामली, हापुड़, गौतमबुद्धनगर एवं सम्भल को सम्मिलित करते हुए किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एस0ए0जी0) का सार्वभौमीकरण करते हुए इस योजना को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है,जिससे प्रदेश में सभी किशोरियों का शारीरिक, मानसिक, जीवन कौशल विकास एवं शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जनपद-इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर प्रयागराज, जनपद- फैजाबाद का नाम अयोध्या, जनपद-ज्योतिबाफुलेनगर का नाम अमरोहा, जनपद-संत रविदासनगर का नाम भदोही एवं जनपद-कांशीरामनगर का नाम कासगंज हो गया है।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- F.No-11012/3/2017-O/O ADSABLA दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से किशोरी शक्ति योजना की जगह सार्वभौमिक रूप से अर्थात समस्त जनपदों में किशोरी बालिका योजना (Scheme for Adolescent Girls-S.A.G.) को भारत सरकार के पत्र संख्या-SAG/2/2017 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 तथा SAG/2/2017/SAG दिनांक 25.11.2017 से लागू किया गया है।

4- योजना का विवरण

4.1 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त करना है, जिससे बालिकाएं आत्म निर्भर व जागरूक नागरिक बन सके। इस योजना के निम्न् उद्देश्य है :-

i- आत्म विकास एवं सशक्तीकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना।

ii- उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।

iii- ण्स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण में जागरूकता को बढ़ावा देना और परिवार एवं बाल देख-रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।

iv- उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों का उन्नयन करना एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना।

v- ण्पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।

vi- ण्प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

4.2 लक्षित समूह

11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा उन्हें जीवन कौशल शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूक कराना एवं औपचारिक स्कूली अथवा व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।

4.3 इस प्रकार सितम्बर,2018 में सर्वे के अनुसार 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों का विवरण निम्नवत् है :-

स्वयं अथवा माता/पिता के आधार कार्ड वाली किशोरियों की संख्या	4,49,802
आधार कार्ड न होने एवं ग्राम प्रधान/मातृ समिति तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सत्यापित किशोरियों की संख्या	63,016
योग	5,12,818

इस योजना के अन्तर्गत सभी 5,12,818 किशोरियों को लाभान्वित किया जायेगा। जिन 63,016 किशोरियों के आधार कार्ड नहीं हैं। उन किशोरियों का आधार कार्ड माह मार्च, 2019 तक अनिवार्यतः बनवा लिया जायेगा।

4.4 पोषक घटक

अनुपूरक पोषाहार

लक्षित किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि उन्हें दैनिक रूप से 600 कैलोरी एवं 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा माईक्रोन्यूट्रीएन्ट प्राप्त हो सके।

4.4.1- प्रदेश के 22 जनपदों- आगरा, ललितपुर,बिजनौर, श्रावस्ती,बहराइच, महाराजगंज, सोनभद्र, सीतापुर, मिर्जापुर, चन्दौली, देवरिया, अमेठी, महोबा, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा, फर्रूखाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, जालौन, लखनऊ तथा चित्रकूट में निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुपूरक पोषाहार, टेक होम राशन दिया जा सकेगा। (संलग्नक-1, 2 व 3)

रेसिपी	अवधि	मात्रा	
		प्रति दिन	प्रति माह
मीठा दलिया	08 दिन	150 ग्राम	1200 ग्राम
नमकीन दलिया	08 दिन	140 ग्राम	1120 ग्राम
लड्डू प्रीमिक्स	09 दिन	150 ग्राम	1350ग्राम

4.4.2- प्रदेश के अन्य 53 जनपदों में टेक होम राशन के रूप में निम्नांकित तालिका के अनुसार अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन (एन0आई0एन0), इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, हैदराबाद, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ''न्यूट्रीटिव वैल्यू आफ इण्डियन फूड्स' ' में उल्लिखित किये गये पोषक तत्वों तथा उनके न्यूट्रीटिव वैल्यू के आधार पर यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा निम्नलिखित तालिका उपलब्ध करायी गयी है (संलग्नक-4 व 5), जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित कैलोरी, प्रोटीन, फैट के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व यथा-आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन-ए एवं फोलिक एसिड (विटामिन बी-9) की पूर्ति भी होगी।

क्र0सं0	खाद्य पदार्थ का नाम	मात्रा	
		प्रतिदिन	प्रतिमाह
1	मोटा अनाज (रागी/बाजरा/ ज्वार/ मक्का/कोदो/कठिया गेहूं)	क्रमशः 20/70/ 40/60/20/50 ग्राम	500/1750/1000/150 0/500/1250 ग्राम
2	देशी काला चना	100 ग्राम	2500 ग्राम
3	अरहर दाल	40 ग्राम	1000 ग्राम
4	देशी घी	4.5 ग्राम	112.50 (450 ग्राम प्रत्येक चार माह में)

उपरोक्त तालिका के अनुसार खाद्य पदार्थ का वितरण प्रत्येक माह किया जायेगा तथा प्रत्येक चौथे माह (अप्रैल, अगस्त, दिसम्बर) में 450 ग्राम देशी घी का भी वितरण किया जायेगा, जिसका क्रय पराग डेरी के माध्यम से किया जायेगा। उपरेक्त तालिका संख्या 1 से 3 तक की सामग्री नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया) से क्रय किया जायेगा, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र को वरीयता प्रदान की जायेगी, ताकि वहां के किसान कम पानी खपत वाली फसलों दलहन, मोटा आनाज, चना इत्यादि की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हों और बुन्देलखण्ड के किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

मोटा आनाज (रागी/बाजरा/ज्वार/मक्का/कोदो/कठिया गेहूं) देशी काला चना एवं अरहर दाल जनपदों के बाल विकास परियोजना कार्यालय तक नेफेड संस्था द्वारा पहुंचाया जायेगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक खाद्य सामग्री का परिवहन मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के अनुरुप जिला प्रशासन के सहयोग से किया जायेगा। खाद्यान्न का मूल्य भारत सरकार द्वारा गठित समिति के द्वारा मूल्य परिवर्तन के अनुसार ही अनुमन्य वित्तीय सीमा के दृष्टिगत खाद्यान्न की मात्रा परिवर्तित होती रहेगी ।

पी0सी0डी0एफ0 द्वारा देसी घी की आपूर्ति त्रैमासिक रुप से परियोजना कार्यालय पर की जायेगी। देसी घी के मूल्य का त्रैमासिक रुप से मूल्यांकन करने के उपरान्त देसी घी के निर्धारित मूल्य के अनुसार अनुमन्य वित्तीय सीमा के दृष्टिगत मात्रा परिवर्तित होती रहेगी।

4.5 गैर पोषक घटक

लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाना अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना तथा अन्य सेवाएं यथा-आयरन फौलिक एसिड पूरक, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल तथा रेफरल सेवायें, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुॅचने का परामर्श/मार्गदर्शन देना। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य शिक्षा युवा मामलों और खेल, पंचायतीराज आदि के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं का अभिसरण ;बवदअमतहमदबमद्ध किया जायेगा।

- आयरन व फोलिक एसिड के साथ विटामिन सी की गोलियों की पूर्ति।
- स्वास्थ्य जॉच व रेफरल सेवाएं।
- कैल्शियम
- पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा।
- स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा, ब्रिज कोर्स/कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए प्रेरित करना।
- जीवन कौशल शिक्षा एवं गृह प्रबन्धन आदि।
- सार्वजनिक सेवाओं तक पहुॅंचने के लिए परामर्श /मार्गदर्शन।

4.6 लागत

4.6.1पोषण घटक

लक्षित किशोरी बालिकाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार हेतु रू0 9.50 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन लागत अनुमन्य है। अनुपूरक पोषाहार प्रत्येक वर्ष 300 दिनों के लिए प्रत्येक लाभार्थी को दिया जायेगा, जिससे कि 600 कैलोरीयुक्त, 18-20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त हो सके।

उक्त पर आने वाला व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 50ः50 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

4.6.2 गैर पोषण घटक

उपरोक्त वर्णित गैर पोषण सेवाओं को प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विभागों यथा-स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामलों और खेल तथा पंचायतीराज के साथ अभिसरण स्थापित करके प्रति परियोजना रू0 1.10 लाख व्यय किये जाने हेतु निर्धारित है।

उक्त पर आने वाला व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60ः40 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

4.7 कार्यक्रम हस्तक्षेप

4.7.1 किशोरी बालिकाओं की पहचान

ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा अपने क्षेत्रों में गृह भ्रमण, पंचायतीराज संस्थाओं, स्कूल अध्यापकों व अन्य स्टेक होल्डर्स की मद्द से 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें योजना की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु सलाह दिया जायेगा। किशोरी बालिका योजना (एस0ए0जी0) के अन्तर्गत 75 जनपदों में बेस लाईन सर्वे सितम्बर, 2018 के अनुसार 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली-5.13 लाख किशोरियां पायी गयीं।

4.7.2 वीरांगना-दल

परियोजना में स्वीकृत/संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्रों में 25 से 30 लक्षित किशोरी बालिकाओं का समूह बनाया जायेगा। गठित समूह को नेतृत्व प्रदान करने के लिए तीन किशोरी बालिकाओं, जिसमें एक वीरांगना सखी तथा दो वीरांगना सहेली का चयन किया जायेगा। चिन्हित लक्षित किशोरी बालिका सखी व सहेली को परियोजना/क्षेत्र स्तर पर दूसरों के लिए सहकर्मी मॉनीटर/सलाहकार के रूप में सेवा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। सखी व सहेली एक वर्ष के लिए समूह की सेवा करेंगे (प्रत्येक किशोरी बालिका का रोटेशन के आधार पर सखी व सहेली के रूप में चार महीने का कार्यकाल होगा)। सखी-सहेली के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय मुख्य सेविका का होगा। वह अपने क्षेत्र में चयनित सखी-सहेलियों का प्रशिक्षण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार करेगी, जिसका पर्यवेक्षण /अनुश्रवण बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर योजना का लाभ स्कूल न जाने वाली किशोरियों को मिल सके।

4.7.3 सामुदायिक भागीदारी

घर के बाहर किशोरी बालिकाओं की क्षमताओं को समुदाय की सहायता से संचित करना। समुदाय व संस्थागत सहायता से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाना एवं ब्रिज कोर्स प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना तथा कौशल विकास मिशन से जोड़ने का बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाकर स्कूल में पंजीकृत कराना सम्भव हो सकेगा। किशोरियों की शिक्षा की आवश्यकता को ग्राम सभा की बैठक में चर्चा की जायेगी, जिसमें बैठक में भाग लेने वाले स्वयं सेवी संगठनों, समुदाय स्तर पर गठित समुदाय आधारित संगठन आदि के ग्रामीण स्तरीय प्रतिनिधि किशोरियों के लिए शिक्षा के महत्व के विषय में जागरूक करेंगे। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, युवा कल्याण संगठन, बाल सुरक्षा समिति, प्राथमिक विद्यालय में गठित समिति, कला जत्था, नुक्कड़ नाटक आदि का सहयोग लेकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

पंचायत राज योजनान्तर्गत जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के परामर्श से जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को गैर पोषण सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर किशोरियों को प्रशिक्षण व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

4.7.4 किशोरी बालिकाओं को परामर्श

किशोरी बालिकाओं को प्रति सप्ताह कम से कम 05-06 घण्टे के लिए गैर पोषण सेवाएं प्रदान की जायेगी, जिसमें निम्न् विषयों पर सत्र निर्धारित किया जायेगा :-

- पोषण
- व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामान्य स्वास्थ्य
- हक एवं अधिकार
- कानूनी प्राविधानां के बारे में जानकारी
- जीवन कौशल एवं गृह कौशल
- किशोरी बालिकाओं के लिए शिक्षा का महत्व
- सार्वजनिक सेवाओं तक पहुॅच
- योग की उपयोगिता
- आई0एफ0ए0 टैबलेट की उपयोगिता

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को गैर पोषण सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक केन्द्र पर दिनांक 05, 15 तथा 25 एवं वी0एच0एस0एन0डी0 दिवस पर सखी एवं सहेली को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न

विभागों के ब्लॉक स्तरीय तथा ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए समय-सारिणी तैयार करेंगे।गांव की किशोरियों को एकत्र करके स्वास्थ्य, जीवन कौशल, प्रशिक्षण, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट की पूर्ति, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा एवं गृह प्रबन्धन, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुॅंचने के लिए परामर्श /मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य सेविका अपने क्षेत्र में आने वाली सखी-सहेलियों का प्रशिक्षण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार करेगी, जिसका पर्यवेक्षण/अनुश्रवण बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर योजना का लाभ स्कूल न जाने वाली किशोरियों को मिल सके।

उपरोक्त गैर पोषण सेवाओं के लिए समय/दिनों तथा स्थान का निर्णय (यदि ऑगनवाड़ी केन्द्र से भिन्न है) प्रदेश स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

4.8 किशोरी हेल्थ कार्ड

प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर सभी किशोरी बालिकाओं के लिए हेल्थ कार्ड रखा जायेगा, जिसमें किशोरी बालिकाओं के वजन, ऊँचाई, बॉडी मॉस इन्डेस्क (बी0एम0आई0), आई0एफ0ए0 पूरक, डी-वार्मिंग, रेफरल सेवाएं व टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी दर्ज की जायेगी। प्रत्येक कार्ड में विवरण चयनित सखी द्वारा भरा जायेगा तथा ऑगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4.9 किशोरी दिवस

- प्रत्येक माह में 8 तारीख को हर आंगनबाड़ी केन्द्र पर किशोरी दिवस मनाया जायेगा। माह जनवरी एवं जुलाई में 8 तारीख को यह दिवस ए0एन0एम0 उपकेन्द्र पर मनाया जायेगा, जहां सभी किशोरी बालिकाओं की चिकित्सा अधिकारी/ए0एन0एम0 द्वारा सामान्य स्वास्थ्य जॉच की जायेगी। इस दिवस की सूचना पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी जायेगी ताकि उनकी टीम तैयार रहे। केन्द्रों की संख्या अधिक होने के कारण यदि उतने स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं हैं, तो उस गांव में उस माह में पड़ने वाले ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर किशोरी दिवस को भी मनाया जायेगा।

4.9.1 आंगनबाड़ी केन्द्र पर किशोरी दिवस में निम्न गतिविधियां की जायेगी **:-**

- किशोरी दिवस पर किशोरियों की वजन व लम्बाई का माप किया जायेगा तथा इसकी सूचना किशोरी स्वास्थ्य कार्ड में अंकित की जायेगी।
- किशोरी बालिकाओं को उस दिन एक आई0एफ0ए0 टैबलेट पूरक (विटामिन-सी के साथ) की गोलियों के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। जिन बालिकाओं ने पिछले तीन माह में एक भी गोली अथवा कम गोलियों का सेवन किया है उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा परामर्श देते हुये विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त इसी दिन स्कूल के एक शिक्षक/शिक्षिका को केन्द्र पर आमंत्रित करते हुये उनके माध्यम से निम्न विषयों पर 30 मिनट की चर्चा की जा सकती है (त्रैमासिक दिवस-हर दिवस पर एक थीम आधारित चर्चा)
    - औपचारिक शिक्षा का महत्व तथा पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाना
    - विवाह की सही आयु
    - स्वच्छता व स्वास्थ्य का पोषण से संबंध
    - किशेरियों की डाइट विशेषतः अंकुरित दालें, विटामिन सी के स्रोत, उर्जा युक्त भोजन का सेवन संबंधी जानकारी।

- किशोरी दिवस पर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित करायेंगी। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त सखी एवं सहेली किशोरियों का किशोरी स्वास्थ्य कार्ड पूर्ण कराने में सहायता करेंगी।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपरोक्त विषयों पर विशेष ध्यान देना। वीरांगना दल की बालिकाओं की सखी व सहेलियों को स्वंय सहायता समूहों की मासिक बैठकों में सखी सहेलियों को बुलाना ताकि उनकी जानकारी बढ़ सके।
- यदि किसी किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य परीक्षण एवं रेफरल सेवाओं की आवश्यकता है, तो इस दिवस को उक्त सेवाएं प्रदान की जायेगी।

4.9.2 ए**0**एन**0**एम**0**केन्द्र पर किशोरी दिवस में निम्न गतिविधियां की जायेगीः-

- ए0एन0एम0 केन्द्र पर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच की जायेगी।
- ए0एन0एम0 केन्द्र पर किशोरियों की हीमोग्लोबिन की जांच की जायेगी।
- किशोरी बालिकाओं को उस दिन एक आई0एफ0ए0 टैबलेट पूरक (विटामिन-सी के साथ) की गोलियों के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। जिन बालिकाओं ने पिछले तीन माह में एक भी गोली अथवा कम गोलियों का सेवन किया है उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा परामर्श देते हुये विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- यदि किसी किशोरी बालिका को स्वास्थ्य परीक्षण एवं रेफरल सेवाओं की आवश्यकता है, तो इस दिवस को उक्त सेवाएं प्रदान की जायेगी।
- किशोरी दिवस पर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित करायेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त सखी एवं सहेली किशोरियों का किशोरी स्वास्थ्य कार्ड को पूर्ण कराने में सहायता करेंगी।

4.10 विभिन्न विभागों से समन्वय

4.10.1 स्वास्थ्य विभाग-

- 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र से निम्न सेवायें दी जायेंगी-
    - साप्ताहिक प्थ्। व द्विवार्षिक डीवर्मिंग टैबलेट की आपूर्ति
    - वजन व लम्बाई का नाप तथा उससे ठडप् का आंकलन करना
    - स्वास्थ्य परीक्षण एवं संदर्भन सेवाएं
    - पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रत्येक किशोरी हेतु वर्ष में 52 आयरन व 2 डीवर्मिंग टेबलेट की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपने क्षेत्र का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के आधार पर कार्यकत्री कुल स्कूल न जाने वाली किशोरियो की संख्या का निर्धारण करेगी। इन किशोरियों को केन्द्र पर पंजीकृत किया जायेगा।
- आयरन व डीवर्मिंग की गोलियों की मांग वार्षिक आधार पर स्वास्थ्य विभाग से की जायेगी। सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से प्राप्त सूचना का संकलन परियोजना स्तर पर करते हुये मांग पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेजा जायेगा। स्वास्थ्य विभाग से परियोजनावार आपूर्ति प्राप्त होने पर आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा केन्द्रवार आपूर्ति भेज दी जायेगी। साप्ताहिक आयरन की गोलियां वितरित करते हुये आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा प्रत्येक माह का कवरेज निर्धारित प्रारूप पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया जायेगा।

- आगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आयरन की गोलियां प्रत्येक माह की 8 तारीख को केन्द्र से खिलायी जायेगी। शेष तीन गोलियां - ममता दिवस (15 तारीख), अन्नप्राशन (20 तारीख) गोदभराई (30 तारीख) को कार्यकत्री द्वारा किशोरियों को अपने सामने केन्द्र पर ही खिलाई जायेगी जिससे कि आच्छादन की रिपोर्टिंग हो सके। डीवर्मिंग की गोलियां फरवरी तथा अगस्त में पड़ने वाले राष्ट्रीय डीवर्मिंग डे के दिन वितरित की जायेगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम उपकेन्द्र पर वर्ष में दो बार- जनवरी तथा जुलाई माह में पंजीकृत किशोरियों की ए0एन0एम0 के सहयोग से खून की जांच की जायेगी, जिससे कि उनके हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता चल सके, एनीमिया की स्थिति की जांच हो सके तथा आवश्यक परामर्श देते हुये जानकारी उनके कार्ड में भरी जा सके।

4.10.2 शिक्षा विभाग-

- किशोरी दिवस पर केन्द्र पर एक शिक्षक को नामित करना जिससे कि एक निर्धारित विषय पर किशोरियों से चर्चा की जा सके।
- घर के बाहर किशोरी बालिकाओं की क्षमताओं को समुदाय की सहायता से संचित करना। समुदाय व संस्थागत सहायता से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाना एवं ब्रिज कोर्स प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, जिससे किशोरी बालिका शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनके अभिभावकों को किशोरियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना।

4.10.3 पंचायती राज व अन्य विभाग-

- पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करके किशोरी दिवस का आयोजन किया जायेगा। शौचालय के प्रयोग, सैनेटरी नैपकिन, घरों के सामने नाली को साफ करने व शुद्ध पेयजल के विषय में ग्राम प्रधान के साथ-साथ जनपद में उपलब्ध प्रशिक्षकों एवं पंचायत राज के अन्य कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा भी दी जा सकेगी।
- स्वयंसेवी संस्था, समुदाय आधारित संगठन, स्वेच्छाग्राही निगरानी समिति के सदस्य किशोरियों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे तथा खुले में शौच जाने से पर्यावरण-प्रदूषण एवं बीमारी के होने के विषय में भी जागरूक करेंगे तथा किशोरियों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- शुद्ध पेयजल की उपयोगिता के विषय में नगर पालिका तथा ग्रामीण स्तर पर प्रेरणास्रोत व्यक्तियों के सहयोग से योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

4.10.4 ग्राम्य विकास विभाग-

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अभिसरण करते हुए निम्न बिन्दुओं पर कार्य करेगा-

(1) समूह की महिलाओं के परिवारों में 11 से 14 एवं 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की पहचान कर उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना (स्कीम फार एडोलसेन्ट गर्ल्स-एस.ए.जी.) के अन्तर्गत दिये जाने वाली सेवाएं उपलब्ध करायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मानना है कि सुरक्षित माहवारी हर किशोरी एवं महिला का अधिकार है और इस क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सघन जनपदों में समूह की महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके द्वारा वे अपने परिवार की किशोरियों को माहवारी स्वास्थ्य पर जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगी।

(3) सुरक्षित माहवारी प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अपने कुछ जनपदों के संकुल स्तरीय संघ द्वारा सस्ते सैनिटरी नैपकिन के व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है। इस माध्यम से किशोरियों को भी सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.11 प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन संरचना

भारत सरकार में संयुक्त सचिव तथा प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, निदेशालय स्तर पर निदेशक, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

किशोरी बालिका योजना एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसे राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाना है। योजना के संचालन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के बजटीय नियंत्रण एवं प्रशासन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ योजना के समग्र दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगे।

5. निगरानी एवं पर्यवेक्षण समितियॉ

योजना के प्रभावी व सफल संचालन के लिए राज्य, जनपद, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर की निगरानी व पर्यवेक्षण समितियॉ गठित की जायेंगी :-

5.1 राज्य स्तरीय समिति

- मुख्य सचिव - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, युवा मामलों के विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग - सदस्य
- प्रदेश सरकार द्वारा नामित 02 मा0 सांसद एवं 02 मा0 विधायक - सदस्य
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा नामित एन0जी0ओ0 व विशेषज्ञ - सदस्य
- प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग - सदस्य सचिव

यह समिति प्रत्येक छः माह में अथवा अध्यक्ष की नोटिस पर जब भी आवश्यकता समझे बैठक करेगी।

5..2 जनपद स्तरीय समिति

- जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत - सदस्य
- पंचायत समिति के प्रतिनिधि - सदस्य
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
- जिला श्रम अधिकारी - सदस्य

- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा नामित विशेषज्ञ /एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधि (दो) - सदस्य
- जनपद स्तरीय बेसिक/माध्यमिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (अधिकतम-पॉच) - सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य सचिव

यह समिति प्रत्येक तीन माह में अथवा अध्यक्ष की नोटिस पर जब भी आवश्यकता समझे बैठक करेगी।

5.3 ब्लाक स्तरीय समिति

- जिला कार्यक्रम अधिकारी - अध्यक्ष
- खण्ड विकास अधिकारी - सदस्य
- प्रभारी चिकित्साधिकारी - सदस्य
- खण्ड शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- खण्ड स्तरीय जनसम्पर्क अधिकारी - सदस्य
- अवर अभियन्ता (जल संसाधन) - सदस्य
- बाल विकास परियोजना अधिकारी - सदस्य सचिव

यह समिति प्रत्येक माह में अथवा अध्यक्ष की नोटिस पर जब भी आवश्यकता समझे, बैठक करेगी।

5.4 ग्राम स्तरीय समिति

- ग्राम पंचायत की महिला सदस्या - अध्यक्ष
- आशा, ए0एन0एम0 - सदस्य
- स्वयं सहायता समूह प्रमुख - सदस्य
- जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक - सदस्य
- ग्राम की समुदाय आधारित संस्था के प्रतिनिधि - सदस्य
- सखी (लाभार्थी समूह की प्रतिनिधि) - सदस्य
- ऑगनवाड़ी कार्यकत्री - सदस्य संयोजक

यह समिति गॉव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु नियमित रूप से मासिक बैठक करेगी तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को अभिलिखित किया जायेगा।

6. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण-

- योजनान्तर्गत पोषाहार का वितरण उचित प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा पृथक-पृथक 05 निरीक्षण प्रतिमाह किया जायेगा।
- निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी प्रत्येक माह 02 जनपदों का निरीक्षण कर योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के सम्बन्ध में भौतिक निरीक्षण एवं जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- योजना के सफल संचालन एवं उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार को लाभार्थियों तक पहुंचाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य सेविका उत्तरदायी होंगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री केन्द्र पर पोषाहार आपूर्ति की सूचना ग्राम प्रधान/मातृ समिति की अध्यक्षा/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक (उपलब्धता के आधार पर) तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र से ग्राम प्रधान/मातृ समिति की अध्यक्षा/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में से किन्हीं 02 के समक्ष लाभार्थियों को पोषाहार वितरित किया जायेगा, जिसकी प्रमाणित सूचना उनके द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

मूल्यांकन-

वर्ष 2020 में वाह्य एजेन्सी से मूल्यांकन कराया जाएगा। 22 एवं 53 जनपदों में योजना के प्रभाव का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर वर्ष 2020-21 एवं आगे चलाई जाने वाली योजना के स्वरुप पर निर्णय लिया जाएगा।

7- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3/2019/168(1)/60-2-18-2/1(24)/18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग, खाद्य एव रसद, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एव स्वास्थ्य तथा युवा कल्याण एवं खेदकूद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, खाद्य एव रसद विभाग,उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश
4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक,माध्यमिक शिक्षा विभाग,उ0प्र0।
6- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग,उ0प्र0।
7- निदेशक, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0।
8- महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
9- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।